

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट




प्रकरण संख्या 218

अनवान

बनाम

चन्दू

जवरीमल

| <p>तारीख<br/>हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>   | <p>नम्बर व तारीख<br/>अहमकाम जो इस<br/>हुक्म की तामील में<br/>जारी हुए</p> |
|------------------------|---|---|
| <p>22/4/24</p>         | <p>पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्क सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 3/6/24 को पेश हो। आज्ञा से</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     रीडर<br/>                     डिविजनल कमिश्नर<br/>                     जोधपुर                 </p>   |   |
| <p>3/6/24</p>          | <p>पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्क सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 16/7/2024 को पेश हो। आज्ञा से</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     रीडर<br/>                     डिविजनल कमिश्नर<br/>                     जोधपुर                 </p>   |   |
| <p>16.7.24</p>         | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं है। हेतु अपीलार अधिवक्ता उपस्थित हो ही हेतु तीन बार आज्ञा से लावा है। उपस्थित परन्तु अपीलार अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं अपीलार एवं उपस्थित हुए हैं। अपीलार के अधिवक्ता द्वारा हेतु सं. एक की तामील हेतु निहित लखे अगम से परतुत नहीं किया है। हेतु अपीलार को हीर लतागामीन शवा मया उपस्थित नहीं होगा। अपीलार अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलार अगम परतुत अगम हेतु से शवा मया की जाती है। हेतु का हेतु लतागामीन</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     सम्भागीय आयुक्त                 </p> |   |

